प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>रिट याचिका क्र. **2978 /1994**</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> बृजलाल

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक **09-02-2010** के लिए सूचीबद्ध हो ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़</u>

<u>रिट याचिका क्र. 2978 /1994</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> **बृजलाल**

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य**

<u>(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)</u>

<u>एकल न्यायपीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थित</u> -: श्री अमृतो दास, याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता ।

श्री शैलेन्द्र शुक्ला, उत्तरवादी क्रमांक – 1 ।

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 09-02-2010 को उद्घोषित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा अपील क्रमांक 152/ एम पी आई आर/ 93 (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बृजलाल) एवं 32/ एम पी आई आर/ 94 (बृजलाल बनाम प्रबंध निदेशक, भिलाई स्टील प्लांट) में पारित आदेश दिनांक 29-1-

1994 (अनुलग्नक-पी/3) की वैधता एवं प्रामाणिकता को चुनौती दिया है।, जिसके अनुसार उत्तरवादी क्रमांक-1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया, एवं श्रम न्यायालय, दुर्ग द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/ एम पी आई आर / 86 (बृजलाल बनाम प्रबंध निदेशक, भिलाई स्टील प्लांट) में पारित आदेश दिनांक 9-11-1993 को (सुधारकर) 29-4-1993 को अपास्त कर दिया गया था एवं परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक- 1 को उसकी सेवा समाप्ति की तिथि अर्थात 19-10-1985 से उसकी सेवानिवृत्ति तक पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने के लिए निर्देश जारी करने की भी मांग की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, मामले के निर्णय हेतु तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 22-7-1963 को सेवा में प्रवेश किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 19-10-1985 को याचिकाकर्ता बीमार पड़ गया, इसलिए उसने अपने नियोक्ता को पत्र लिखकर अपनी बीमारी की सूचना दी। डॉक्टर ने उन्हें दिनांक 29-10-1985 तक आराम करने की सलाह दी। दिनांक 30-10-1985 को जब याचिकाकर्ता अपने कार्य पर वापस गया, तो उसे बताया गया कि उसे

दिनांक 19-10-1985 के आदेश (अनुलग्नक-पी/1) के अनुसार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

3. दिनांक 19-10-1985 के समाप्ति आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय, दुर्ग के समक्ष मामला दायर किया। उक्त मामले में उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से अनुपस्थित था एवं अक्टूबर, 1983 से मई, 1984 तक की अवधि के दौरान 127 दिनों के लिए सेवा से अनुपस्थित रहा एवं जुलाई, 1984 से अप्रैल, 1985 तक की अवधि के दौरान 196 दिनों के लिए सेवा से पुनः अनुपस्थित रहा। श्रम न्यायालय ने दिनांक 29-4-1993 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के मामले को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया एवं उत्तरवादी क्रमांक 1 को याचिकाकर्ता को बिना बकाया वेतन दिए सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विरुद्ध उत्तरवादी क्रमांक- 1 तथा याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलें दायर कीं। उत्तरवादी क्रमांक- 1 ने बहाली के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की एवं याचिकाकर्ता ने क्रमशः पिछला बकाया

वेतन देने से इनकार करने के विरुद्ध अपील दायर की। औद्योगिक न्यायालय ने दिनांक 29-1-1994 के आदेश द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया एवं उत्तरवादी क्रमांक- 1/नियोक्ता की अपील को स्वीकार कर लिया एवं परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता/कर्मचारी की अपील को खारिज कर दिया। इस प्रकार, यह याचिका उनकी सेवा समाप्ति की तिथि से लेकर उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि तक बहाली एवं बकाया वेतन के लिए है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमृतो दास ने तर्क प्रस्तुत किया कि सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान, ऐसा एक भी अवसर नहीं था जब याचिकाकर्ता को कर्तव्यों की उपेक्षा में संलिप्त पाया गया हो, सिवाय सेवा के अंतिम वर्ष के जब वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अनावश्यक रूप से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य था। उत्तरवादी क्रमांक- 1 के अनुसार, याचिकाकर्ता को 14-5-1985 को आरोप पत्र दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया एवं सशर्त रूप से दोष स्वीकार करते हुए इसके कारण भी बताए। श्री दास ने आगे तर्क दिया कि स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा, किन्तु, याचिकाकर्ता ने जाँच

अधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था, जिस पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता किसी भी जिम्मेदार या महत्वपूर्ण पद पर नहीं था एवं न ही वह बिना वर्दी के अनुपस्थित था एवं याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण, उत्तरवादी क्रमांक- 1/नियोक्ता को गंभीर पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ा है एवं इस तरह, सेवा से हटाने का आदेश अनुपातहीन है एवं इसे अपास्त किया जाना चाहिए। श्री दास ने आगे तर्क दिया कि बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना एवं विधि के सम्पक प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र शुक्ला ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता आदतन अनुपस्थित रहता था एवं वह लंबे समय तक अनधिकृत रूप से छुट्टी पर रहा। याचिकाकर्ता को विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अतः सेवा से बर्खास्त करने का दंड न्यायोचित एवं उचित है।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, दलीलों एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया ।

8. निसंदेह, याचिकाकर्ता अक्टूबर, 1983 से मई, 1984 तक 127 दिन अनुपस्थित रहा, जिसके परिणामस्वरूप उस पर लघु शास्ति अधिरोपित किया गया एवं उसका मूल वेतन 787/- रुपये से घटाकर 769/- रुपये कर दिया गया। इसके पश्चात, वह जुलाई, 1984 से अप्रैल, 1985 तक 196 दिन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं विभागीय जांच के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इस प्रकार, यह माना गया कि याचिकाकर्ता बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्रम न्यायालय ने 29.04.1993 के आदेश अनुसार याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर जांच अधिकारी ने विचार नहीं किया, बिना यह बताए कि स्पष्टीकरण क्या था एवं क्या स्पष्टीकरण युक्तियुक्त एवं सही था। याचिकाकर्ता

द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो केवल 19.10.1985 से 29.10.1985 तक की अवधि के लिए था। पिछले वेतन से इनकार के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील, अपील क्रमांक 32/एमआरआईआर/94 है एवं उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा की गई अपील, अपील क्रमांक 152/एमपीआईआर/93 है, जो बहाली के आदेश के विरुद्ध है, औद्योगिक न्यायालय ने क्रमशः अपचारी कर्मचारी अर्थात् याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट स्वीकारोक्ति के पहलू पर विचार करने के पश्चात, श्रम न्यायालय द्वारा पारित बहाली के आदेश को अपास्त कर दिया एवं उत्तरवादी क्रमांक 1/ नियोक्ता द्वारा 29.01.1994 को दायर अपील को स्वीकार कर लिया। विभागीय जाँच में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के संबंध में पक्षकारों ने कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि विभागीय जाँच में याचिकाकर्ता को लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता फीडर परिचारक था। बार को सूचित किया जाता है कि फीडर परिचारक माल के उत्पादन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है।

याचिकाकर्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई है।

11. अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक, वी.एस.पी. एवं अन्य बनाम गोपाराजू श्री प्रभाकर हरि बाबू[1] मामले में, जिस पर याचिकाकर्ता ने अवलंब लिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> "16. निस्संदेह, उत्तरवादी आदतन अनुपस्थित रहता था। उसने आरोप-पत्र के जवाब में अपने स्पष्टीकरण में आरोपों को स्वीकार करते हुए दोषी होने का अभिवाक किया । साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार, आरोपों को स्वीकार कर लेने के पश्चात् उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं था। इसी आधार पर जाँच कार्यवाही बंद कर दी गई। जाँच अधिकारी के समक्ष, उसने अपनी माँ के बीमार होने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के अवसर दिए जाने के बावजूद, उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने पिछले आचरण का भी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2008) 5 SCC 569

21. एक बार यह पाया जाए कि सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया गया है, तो न्यायालय सामान्यतः किसी अपचारी कर्मचारी पर लगाए गए अधिरोपित शास्ति की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय केवल कुछ मामलों में ही आनुपातिकता के सिद्धांत का आह्वान कर सकते हैं। यदि नियोक्ता का निर्णय विधिक मानदंडों के अन्तर्गत पाया जाता है, तो कदाचार सिद्ध होने पर सामान्यतः अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं किया जाएगा।

(देखें संगफ्रॉइड रेमेडीज लिमिटेड बनाम भारत संघ)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके अलावा, मिथिलेश सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य[2] मामले में, जिस पर याचिकाकर्ता ने अवलंब लिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकारियों को उचित सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहने पर सेवा से निष्कासन का आदेश दिया जा सकता है।

13. याचिकाकर्ता द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में महाप्रबंधक, अपीलीय प्राधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन[3] के

2 AIR 2003 SC 1724

3 (2006) 7 SCC 410

प्रकरण का अवलंब लेते हुये कि याचिकाकर्ता किसी ज़िम्मेदार पद पर नहीं था, इसलिए उसकी अनुपस्थिति से कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि स्वीकार्यतः याचिकाकर्ता उत्पादन इकाई में फीडर अटेंडेंट था। यदि फीडर अटेंडेंट अनुपस्थित रहता है तो उत्पादन में हानि हो सकती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता एक जिम्मेदार पद पर था। तदनुसार, उसे बर्खास्त करने का दंड अनुपातिक नहीं था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम मोहम्मद अयूब नाज़[4] पर अवलंब लिया है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर लगभग तीन वर्षों की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, चाहे उसे मौद्रिक/सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का अधिकार हो, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे व्यक्ति को मौद्रिक/सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

4 (2006) 1 SCC 589

15. मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम हजारीलाल[5] के प्रकरण में, जिस पर याचिकाकर्ता ने अवलंब लिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> "7. उक्त प्रावधान के कारण, इस प्रकार, "अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उस मामले की परिस्थितियों पर विचार करने का अधिकार दिया गया है, जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी पर उसके आचरण के आधार पर कोई शास्ति अधिरोपित किया गया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है", किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि जिस भी मामले में वह शामिल था या उस पर जो भी शास्ति अधिरोपित किया गया है, उसकी प्रकृति पर ध्यान दिए बिना, बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जाना चाहिए। हमारे विवेकानुसार, ऐसा कोई भी अर्थ उचित नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. मामले की तथ्यात्मक स्थिति एवं पूर्वोक्त विभिन्न घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता की जानबूझकर अनुपस्थिति से उत्तरवादी क्रमांक- 1 को कोई क्षति या नुकसान नहीं हुआ है।

---

5 (2008) 3 SCC 273

1984 से 1985 तक 196 दिनों की अनुपस्थिति पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी याचिकाकर्ता अक्टूबर, 1983 से मई, 1984 तक 127 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहा था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता आदतन अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति था। नियोक्ता को दी गई कुछ जानकारी किसी कर्मचारी को नियोक्ता की उचित अनुमति के बिना, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं देती है। अधीनस्थ न्यायालयों ने जानबूझकर अनुपस्थिति के तथ्य की जांच नहीं की है, किंतु इस न्यायालय के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायलयों के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर अनधिकृत रूप से सेवा से अनुपस्थित रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस प्रकार, उपरोक्त बताए गए कारणों से, रिट याचिका असफल हो जाती है एवं तदनुसार खारिज की जाती है।

18. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.